



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275729
CG-DL-E-25082026-275729

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4495]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4495]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4680(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ 1097 (ई) दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. -3 के किमी 261.842 से किमी 380.000 (धुले- पिंपलगांव खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण ने महाराष्ट्र राज्य में 'बिल्ड, ऑपरेट ट्रांसफर' (बीओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के किमी. 261.842 से किमी. 380.000 (धुले-पिंपलगांव खंड) तक के खंड (जिसे इसके बाद 'उक्त खंड' कहा जाए) के विकास के लिए मेसर्स इस्कॉन सोमा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड. (जिसे इसके बाद 'कंसेसनेयर' कहा जाए) के साथ करार किया है;

और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग / राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के किसी खंड के उपयोग के लिए किसी भी सदस्य द्वारा शुल्क संग्रहण), नियम, 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 2405(अ) दिनांक 18 सितम्बर, 2009 द्वारा, कंसेसनेयर को उक्त खंड के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन, जो भी बाद में हो, से समाप्ति तिथि तक शुल्क संग्रहण करने तथा रखने के लिए प्राधिकृत किया है।

और यतः, बीओटी (टोल) रियायत करार के तहत रियायत की अवधि पूरी होने के बाद प्राधिकारी द्वारा कंसेसनेयर से उक्त खंड को अपने अधिकार में ले लिया जाएगा और अधिसूचना के अनुसार भाराराप्रा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण जारी रखेगा, जो रियायत की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी होगा और तदनुसार अधिसूचना संख्या का.आ.2405(अ) दिनांक 18.09.2009 अधिक्रमित किया जाएगा।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-3 के डिज़ाइन चनेज 261.842 से चनेज 380.000 तक धुले से पिंपलगांव खंड के 4-लेन का उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 117.508 किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] के लिए और 6.500 किमी (0.650 किमी लंबाई वाली [सारणी-3]) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी -2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चनेज)	लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के धुले ज़िले में अवधान-लालिंग गांवों के बीच एनएच-3 के डिज़ाइन चनेज.268.600 पर (चनेज.261.842 से चनेज.320.602 तक)	58.110 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं को छोड़कर]	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
महाराष्ट्र राज्य के नासिक ज़िले में मंगरुल-चांदवड गांवों के बीच एनएच-3 के डिज़ाइन चनेज 356.728 पर (चनेज 320.602 से चनेज 380.000 तक)	59.398 [60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचनाओं को छोड़कर]	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी -3			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	अवसंरचनाओं की लंबाई [^] (किमी में) को समकक्ष सड़क लंबाई में परिवर्तित किया जाना है	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के धुले ज़िले में अवधान-लालिंग गांवों के बीच एनएच-3 के डिज़ाइन चेनेज.268.600 पर (चेनेज.261.842 से चेनेज.320.602 तक)	0.650	6.50	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] अवसंरचना का विवरण निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	चेनेज		अवसंरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
(i)	263.629	263.701	आरओबी	0.072
(ii)	281.634	281.723	बड़ा पुल	0.0890
(iii)	311.843	312.269	बड़ा पुल	0.4260
(iv)	313.903	313.966	फ्लाईओवर	0.0630
अवसंरचना की कुल लंबाई				0.6500

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360/- रुपए (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी -4		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

5. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **731.45** करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एमएचडीआईवी/43/2025-पीआईयू नासिक /ई-257693]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4680(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097(E) dated the 4th August, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 261.842 to Km. 380.000 (Dhule-Pimpalgaon section) of National Highway No.-3 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said act, the Authority has entered into an agreement with to M/s Ircon Soma Tollways Pvt. Ltd., (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of the stretch from Km. 261.842 – Km. 380.000 (Dhule-Pimpalgaon section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra (herein after referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any Person for the use of Section of the National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways), Rules 1997, the Central Government, by notification of the Government of India vide S.O. 2405(E) dated 18.09.2009, authorised Concessionaire for collect and retain fees on and from the date of Commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later: and till the termination date.

And whereas, eventually, after the completion of concession period as per the BoT (Toll) Concession Agreement, the said section will be taken over by Authority from Concessionaire and NHAI will continue the user fee collection as per this notification which will come into effect upon completion of concession period & the Notification No. S.O. 2405(E) dated 18.09.2009 will be superseded accordingly.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 117.508 [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of **6.500 km (having length of 0.650 km (Table-3))** on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of 4 Lanning of Dhule to Pimpalgaon section

from design Ch. 261.842 to Ch. 380.000 of National Highway Number-3 in the State of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Ch.268.600 of NH-3 between Avdhan-Laling Villages in Dhule District of State Maharashtra (from Ch.261.842 to Ch.320.602)	58.110 [Excluding length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table- 1 above
At Design Ch.356.728 of NH-3 between Mangrul-Chandwad Villages in Nashik District of State Maharashtra (from Ch.320.602 to Ch.380.000)	59.398 [Excluding length of structures (>60m)]	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Ch.268.600 of NH-3 between Avdhan-Laling Villages in Dhule District of State Maharashtra (from Ch.261.842 to	0.650	6.50	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table- 1

Ch.320.602)			above
-------------	--	--	-------

^The details of structures is as under:

S. No.	Chainage		Type of the Structure	Length (Km.)
	From Km.	(To km)		
(i)	263.629	263.701	ROB	0.072
(ii)	281.634	281.723	Major Bridge	0.0890
(iii)	311.843	312.269	Major Bridge	0.4260
(iv)	313.903	313.966	Flyover	0.0630
Total Length of structure				0.6500

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.360/- (Rupees Three Hundred and Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is **Rupees 731.45 Crore**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain record of recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. MHDIV/43/2025-PIU Nashik /E-257693]

CHEITNA NAND SINGH, Jt. Secy.